



30 प्र० स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

लखनऊ- 226001

सं० 127/ट्रस्ट/को०भु०

दिनांक: 18.01.2016

महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक,

उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रॉ०का०लि०/

उ०प्र०ज०वि०नि०लि०, डिस्कॉम्स लखनऊ/वाराणसी/

मेरठ/आगरा एवं केसा कानपुर/सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ।

विषय :- पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य देयों का कोषागार के माध्यम से भुगतान।

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ० प्र० शासन के पत्र संख्या 1/2016/41/24-पी-2- 16-सा०(84)/2014 दिनांक 13.01.2016 का सन्दर्भ लें, जिसे उ० प्र० शासन की वेबसाईट के अतिरिक्त उ०प्र०पा०का०लि० की वेबसाईट पर भी अपलोड किया जा चुका है, जिसका बिन्दुवार अनुपालन निर्धारित समयावधि में सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाना है। उपरोक्त सम्बन्ध में निदेशक (वित्त) एवं ट्रस्टी के पत्र संख्या 2115/ट्रस्ट/को०भु० दिनांक 31.12.2015 द्वारा भी अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे। उपरोक्त सम्बन्ध में निदेशक कोषागार से भी चर्चा की गयी है, जिनके द्वारा जनपद कोषागार हेतु निर्देश निर्गत किया जाना शीघ्र सम्भावित है। निदेशक कोषागार से हुयी चर्चा एवं ट्रस्ट स्तर पर हुई चर्चा के अनुक्रम में, निर्धारित समय-सीमा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु पेंशन वितरण अधिकारी, पेंशन स्वीकृताधिकारी एवं निगम स्तर पर निम्न कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है:-

1. निगम के नियन्त्रणाधीन पेंशन वितरण अधिकारियों, पेंशन स्वीकृताधिकारियों एवं निगम स्तर से, नोडल अधिकारी का नाम, पद नाम, इकाई का नाम, मोबाईल संख्या, दूरभाष संख्या एवं ई०-मेल का पता एवं सम्बन्धित जनपद कोषागार का नाम, अविलम्ब उपलब्ध कराया जाए।
2. पेंशन वितरण अधिकारी एवं पेंशन स्वीकृताधिकारी द्वारा सम्बन्धित कोषागार (जहाँ अभिलेखों को प्रेषित किया जाना है) के अधिकारी से शासनादेश के सन्दर्भ में, पेंशन हस्तान्तरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में, सम्पर्क कर, विचार-विमर्श किया जाए।
3. (i) पेंशन वितरण अधिकारी एवं पेंशन स्वीकृताधिकारी स्तर पर जनपद कोषागार के अनुसार मूल पेंशन प्राधिकार पत्र एवं नवीनतम पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र एवं मूल प्रपत्र-3 (अर्धक), सारांश विवरण सहित की समुचित जाँच करने के उपरान्त, "अभिप्रमाणित" लिखकर सत्यापित किया जाए। मोहर में सक्षम अधिकारी का नाम, पद नाम एवं कार्यालय का नाम इंगित किया जाए।
3. (ii) शासनादेश के बिन्दुसंख्या 3. (ii) पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के बैंक खाते से सम्बन्धित विवरण प्रेषित किया जाना है यथा बैंक का नाम पता, पेंशनर का बैंक खाता संख्या IFSC कोड सहित।
3. (iii) नए पी०पी०ओ०/जी०पी०ओ०/सी०पी०ओ० में इसी प्रकार कार्यवाही की जाये।
3. (iv) प्राधिकार-पत्रों एवं सूचनाओं की मूल प्रति के अतिरिक्त तीन सेट अतिरिक्त करा कर एक सेट पेंशन वितरण अधिकारी स्तर पर, एक सेट पेंशन स्वीकृताधिकारी स्तर पर तथा एक सेट ट्रस्ट स्तर पर रखी जानी होगी।
3. (v) ट्रस्ट स्तर पर सत्यापन के उपरान्त सम्बन्धित पेंशन स्वीकृताधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा मूल पेंशन प्रपत्रों एवं सूचनाओं का सेट प्राप्त कर सम्बन्धित कोषागार को पेंशन वितरण अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे।
3. (vi) अनन्तिम ग्रेच्युटी एवं पेंशन का भुगतान, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार ट्रस्ट स्तर से किया जाएगा।
4. पेंशन स्वीकृताधिकारी/निगम स्तर पर समुचित कार्ययोजना बनाकर दिनांक 31.01.2016, 15.02.2016 एवं 28.02.2016 तक किये गये कार्य की प्रगति संलग्न प्रारूप में उच्च प्रबन्धन के अवलोकनार्थ प्रेषित की जाए।
5. सूचनाएँ प्रपत्र आदि भरने का कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से कराया जाना आवश्यक है, जिसे आवश्यकतानुसार सूचनाओं में परिवर्तन किया जा सके तथा सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में उपलब्ध रहे। यथावश्यक बाह्य एजेंसी की सेवा भी ली जा सकती है।
6. मासिक अंशदान के सम्बन्ध में सम्बन्धित कम्पनियों/निगमों द्वारा आदेश निर्गत किये जाने हैं। साथही मासिक अंशदान की राशि कार्यरत कार्मिकों की संख्या, जिनके वेतन के अनुसार जमा किया गया है (विवरण सहित)। माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित किया जाना है, जिसके लिए कार्यरत कार्मिकों का डाटा निगम स्तर पर रखा जाना अपेक्षित है।



30 प्र0 स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

लखनऊ- 226001

7. शासनादेश में कोई रूप-पत्र, प्रारूप संलग्न नहीं किया है। चिकित्सा भत्ता का भुगतान एवं विद्युत व्यय की कटौती के सम्बन्ध में उ०प्र०पा०का०लि० (मु०) द्वारा अलग से निर्णय लिया जाना है।
8. माह फरवरी 2016 की पेंशन का भुगतान ट्रस्ट द्वारा किया जाना होगा। माह मार्च 2016 की मासिक पेंशन या अन्य देयों का भुगतान सम्बन्धित जनपद कोषागार द्वारा किया जायेगा।
9. ट्रस्ट में मासिक पेंशन के भुगतान हेतु माह जनवरी 2016 एवं फरवरी 2016 की माँग में जाँच-कर मात्र न्यूनतम राशि की निधि माँग ही प्रेषित की जाए एवं पेंशन वितरण इकाई में उपलब्ध आधिक्य अवशेष राशि को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से अविलम्ब वापिस किया जाए।
10. अनन्तिम ग्रच्युटी एवं अनन्तिम पेंशन स्वीकृति में लागू नियमों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।
11. वित्तीय वर्ष 2015 के पेंशन एवं सा०भ०नि० एवं अंशदायी आ०भ०नि० मासिक लेखा एवं निगम स्तर से पेंशन एवं सा०भ०नि० एवं अंशदायी आ०भ०नि० के मद में देयता का विवरण भी यथाशीघ्र प्रेषित किया जाये।
12. पत्र व्यवहार ईमेल किया जा रहा है अतः ईमेल चेक किया जाना आवश्यक है साथ ही उपरोक्त कार्य हेतु ट्रस्ट स्तर पर ईमेल आईडी० upspsetpension@gmail.com बनायी गयी है।

साथ ही अन्य सापेक्ष एवं व्यवहारिक सुझावों से भी इस कार्यालय को अवगत कराये जिससे विचार कर निर्णय कराया जा सके।

संलग्नक: यथापरोक्त।

(पी०के०गुप्ता)
उपमहाप्रबन्धक (लेखा)
एवं सचिव (ट्रस्ट)

सं० 127 ट्रस्ट/को०भु०/तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक (वित्त एवं ट्रस्टी) उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त) उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०, डिस्कॉम मेरठ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, मुख्य अभियंता (जल विद्युत)।
3. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी (वितरण/पारेषण/सामग्री प्रबन्ध), तापीय परियोजनायें उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०, डिस्कॉम मेरठ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, केसा कानपुर।
4. लेखाधिकारी (पेंशन) उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन (विस्तार) लखनऊ
5. लेखाधिकारी (पेंशन), मुख्य अभियंता (जल विद्युत) उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन (विस्तार) लखनऊ
6. समस्त अधिकारी उ०प्र०पा०से०इ० ट्रस्ट, शक्ति भवन लखनऊ,

(पी०के०गुप्ता)
उपमहाप्रबन्धक (लेखा)
एवं सचिव (ट्रस्ट)

(NAME OF OFFICE OF PENSION SANCTIONING AUTHORITY)

No. / /Treasury

Date :

**Secretary
U.P. State Power Sector Employees Trust
2nd Floor
14, Ashok Marg
Shakti Bhawan EXtn
Lucknow**

**SUBJECT : TRANSFER OF PPOs AND OTHER DOCUMENTS AS PER U.P. GOVT
ORDER NO 1/2016/41/24-P-2-16-SA(84)/2014 dt 13.01.2016 AND
DIRECTOR (TREASURY) LUCKNOW LETTER NO 3667/T/TC
DATED 25.01.2016**

In compliance to U.P. Govt order and Director (Treasury), Lucknow letter as noted above P.P.O. and other related documents of the Pensioners/Family Pensioners duly verified as per summarized Statement annexure 3 & 4 (Treasury wise) are enclosed herewith:-

Sl No	Name of Treasury	Name of Pension Disbursing Unit	No. of Pensioner	No. of Family Pensioner	No of Pensioner/ Family Pensioner Still pending Pensioner	Family Pensioner
1						
2						
3						
4						
5						

Enclosure – As above.

Signature of Sanctioning Authority
Name and Designation

No. /

Date-

SUMMRIZED DETAILS OF FAMILY PENSIONERS SANCTIONING OFFICE WISE

(In continuation to Trust letter No. 127/Trust/TP/dt 18/01/2016)

NAME OF DISTRICT TREASURY-

NAME OF SANCTIONING OFFICE -

NAME OF PENSION DISTRIBUTION DIVISION -

S.N.	PPO NO.	DATE	NAME OF FAMILY PENSIONER	COMPANY CODE	NAME OF EMPLOYEE/ PENSIONER	LAST POST HELD	LAST REVISED PPO NO.	DATE	PRESENT PENSION AMOUNT	COMMUTED PENSION AMOUNT	REMARK
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

As per details above, with enclosed original PPOs latest PPO & Form 3 (Ardhak) & Annexure 2 of Director (Treasury), Lucknow along with one additional set for record of Trust office are being forwarded after duly verification in compliance to UP govt. order No. 1/2016/41/24-P-2-16-SA(84)/2014 dated 13 January 2016.

(SIGNATURE OF DDO PENSION DISTRIBUTION UNIT)
NAME & DESIGNATION WITH OFFICIAL SEAL

(SIGNATURE OF PENSION SANCTIONING AUTHORITY)
NAME & DESIGNATION WITH OFFICIAL SEAL

No...../...../.....

Date.....

SUMMERIZED DETAILS OF PENSIONERS SANCTIONING OFFICE WISE

(In continuation to Trust letter No. 127/Trust/TP/dt 18/01/2016)

NAME OF DISTRICT TREASURY-

NAME OF SANCTIONING OFFICE -

NAME OF PENSION DISTRIBUTION DIVISION -

S.No.	PPO NO.	DATE	NAME OF PENSIONER	COMPANY CODE	LAST POST HELD	LAST REVISED PPO NO.	DATE	PRESENT PENSION AMOUNT	COMMUTED PENSION AMOUNT	REMARK
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

As per details above, with enclosed original PPOs latest PPO & Form 3 (Ardhak) & Annexure 2 of Director (Treasury), Lucknow along with one additional set for record of Trust office are being forwarded after duly verification in compliance to UP govt. order No. 1/2016/41/24-P-2-16-SA(84)/2014 dated 13 January 2016.

(SIGNATURE OF DDO PENSION DISTRIBUTION UNIT)
NAME & DESIGNATION WITH OFFICIAL SEAL

(SIGNATURE OF PENSION SANCTIONING AUTHORITY)
NAME & DESIGNATION WITH OFFICIAL SEAL

प्रारूप 'क'

कम्पनीवार-कम्पनी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (पारेषण/वितरण) एवं पेंशन वितरण इकाई स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों से सम्बन्धित विवरण:-

क्रम सं०	कार्यालय का नाम एवं पता	अधिकारी का नाम एवं पद	मो०सं० एवं दूरभाष सं०	ई०-मेल का पता	जनपद कोषागार का नाम
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर
(पेंशन स्वीकर्ताधिकारी)
कार्यालय का नाम

हस्ताक्षर
उपमहाप्रबन्धक
एवं नोडल अधिकारी
निगम एवं कॉरपोरेशन का नाम

प्रारूप 'ख'

(पेंशन स्वीकर्ताधिकारी)
कार्यालय का नाम

उपमहाप्रबन्धक एवं नोडल अधिकारी
निगम/कॉरपोरेशन का नाम

इकाई/क्षेत्रीय लेखा कार्यालय स्तर पर पेंशन प्रपत्र स्थानान्तरण के संबंध में हुई प्रगति का पाक्षिक विवरण दिनांक 31.01.2016 / 15.02.2016 / 29.02.2016

क्रम सं०	पेंशन वितरण इकाई का नाम	अनन्तिम पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की कुल संख्या	कुल पेंशनर/पा०पेंशनर (नियमित) की संख्या		इकाई स्तर पर प्रगति		पेंशन स्वीकर्ताधिकारी स्तर पर प्रगति	
			पेंशनर	पा० पेंशनर	नि० पेंशनर	नि० पा० पेंशनर	पेंशनर	पा० पेंशनर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर
(पेंशन स्वीकर्ताधिकारी)
कार्यालय का नाम

हस्ताक्षर
उपमहाप्रबन्धक
एवं नोडल अधिकारी
निगम एवं कॉरपोरेशन का नाम